Title: Need to write-off the arrear of road tax accruing to transporters of Himachal Pradesh.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ वर्ा पहले ट्रांसपोर्टरों के नैशनल परमिट के रोड टैक्स को बढ़ा दिया गया और पूरे देश में वह लागू किया गया, किन्तु हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टर उसके विरोध में न्यायालय में गए और न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। पिछले आठ-नौ वर्ाों से उन ट्रांसपोर्टरों ने वह टैक्स अदा नहीं किया। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद वह शेा रोड टैक्स देना पड़ेगा और वह टैक्स इतना बन रहा है कि ट्रांसपोर्टर यदि अपने ट्रक बेच दें, तो भी वह टैक्स पूरा नहीं चुकाया जा सकता। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में एक विकट स्थिति पैदा हो गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी जब मनाली गए थे, तो ट्रांसपोर्टर उनसे मिले थे और प्रधान मंत्री जी ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया था कि वे इस पर सहानुभूति पूर्वक िवचार करेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया और न ही ट्रांसपोर्टरों को को राहत प्रदान की गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे छोटे ट्रांसपोर्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पुराने शेा टैक्स को माफ करें और आगे से बढ़ा हुआ टैक्स सरकार ले ताकि ट्रांसपोर्टर दिवालिया होने से बच सकें और अपनी जीविका कमा सकें।

(इति)